फर्द अहकाम

बरजी देवी बनाम सुल्तान वगै०

नाम न्यायालय ACM Chomu

केस संख्या 75/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/11/4	व. प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मूल वाद में एकपक्षीय भावांतरण अमल में लाया जा चुका है अतः इस प्रकरण के दोनों पक्षकारों एकपक्षीय भावांतरण की पत्नी है व. प्रार्थी ने बहस T.I. हेतु निवेदन किया। बहस T.I. सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायालय द्वारा दिनांक 21/10/2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है इस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के तो फैसला मूल वाद मन्जूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता न बढ़े। अतः उक्त आदेश दिनांक 21/10/22 के तो फैसला मूल वाद मन्जूर किया जाता है पत्रावली कमल कुमार बेरड़ एडवोकेट से मान्य है तथा मूल वाद के संलग्न है।	

सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)